



मुख्य आयुक्त का कार्यालय केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क
तेलंगखेड़ी रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001

Office of the Chief Commissioner of GST, Central Excise & Customs,
Nagpur Zone

GST Bhavan, Telangkhedi Road, Civil Lines, Nagpur - 440 001
Telephone No.0712-2565375 Fax No.0712-2561887 (ccu-cexngpr@nic.in)

स्थापना आदेश क्रमांक 15/2021
(दिनांक 02/03/2021)

1. कु. दीपाली अनिल डाफ (पिता, स्व. अनिल एल.डाफ, पूर्व हवालदार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर) को केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ग' (अराजपत्रित/ मंत्रालयीन) में कर सहायक पद पर अस्थायी और अगले आदेशों तक स्तर -4, रुपये 25500-81100 के वेतनमान में (पूर्व संशोधित वेतनमान रुपये ५२०० से २०२०० सहित रुपये २४०० वेतन बैंड), तथा कर सहायक संवर्ग के लिए समय-समय पर स्वीकृत महंगाई व अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा आधार पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति व्यक्ति विशेष के कार्यग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

Ms. Deepali Anil Daf Daughter of late Shri Anil L. Daf the then Hawaldar, Central Excise, Nagpur is hereby appointed on compassionate ground as Tax Assistant of CGST & CX Group - C (Non-Gazetted/ Ministerial), temporarily and until further orders, in the Level-4 Rs. 25,500-81100 (Pre revised Pay Band Rs. 5200-20200 with Grade Pay 2400) and such dearness and other allowances as admissible to the Cadre of Tax Assistant from time. The appointment shall take effect from the date on which the individual joins duty.

2. यह नियुक्ति अस्थायी है और जाति/समुदाय प्रमाण पत्र, चरित्र व पूर्ववृत्त एवं उम्मीदवार द्वारा दिए गए आयु और योग्यता के प्रमाण पत्रों की उचित माध्यम से जाँच पर आधारित है यदि जाँच में पाया जाता है कि उम्मीदवार का अ.जा./अ.ज.जा. से होने का दावा गलत है या कोई प्रतिकूल अभियुक्ति मिलती है तो उसकी सेवा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है और यथास्थिति भारतीय दंड संहिता 1860, यथा संशोधित, प्रावधानों के अंतर्गत गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये अन्य कर्वाई की जा सकती है।

The appointment is provisional and is subject to verification of Caste/ Community certificate, character and antecedents and also certificates submitted by the candidate regarding age and eligibility, through proper channels. If the verification reveals that the claim of candidate that she belongs to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe is false or any adverse remark/s received, her services will be liable to termination forthwith without assigning any reasons and without prejudice to such other action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code, 1860, as amended, for production of false certificates.

3. उसे भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी या इस सम्बन्ध में निर्धारित फॉर्म में सत्यनिष्ठा की अभिपुष्टि करनी होगी।

She will be required to take an oath of allegiance to the constitution of India or make a solemn affirmation to that effect in prescribed form.

4. उसे भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए निर्धारित और जिस आयुक्तालय में उसकी नियुक्ति हुई है उसमें व्यवहृत आचरण व अनुशासन के नियम कायदों का पालन करना होगा।

She will have to conform to the rules and norms of discipline and conduct prevailing in the Commissionerate where she is posted and also those imposed by the Government of India on its employees.

5. झूटी पर रिपोर्ट करते समय उसे यह बताना होगा कि क्या अपने पहले ही किसी रोजगार के लिये आवेदन किया है या कोई प्रतियोगी परीक्षा दी है।

She should also intimate, at the time of reporting for duty, if she has already applied/ appeared in any other competitive examination for employment.

6. संबंधित आयुक्त को पूर्ण अधिकार है कि वह अन्य शासकीय कार्यालयों या कहीं और नियुक्ति के लिए उसके आवेदन को प्रेषित करे या रोक दे।

The Commissioner concerned has full discretion to forward or withhold her application for appointment in other Government offices or elsewhere.

7. उसे निर्धारित अवधि के भीतर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

She should pass the Departmental Examination within the prescribed period.

8. वह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्षों की अवधि अधीन रहेगी। तक परिवीक्षा अवधि में रखा जाएगा। कर सहायक के संवर्ग में उसका अवरोधन/ नियमितीकरण परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण करने व विभागीय परीक्षा निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करने पर निर्भर रहेगा।

She will be kept on probation for a period of two years from the date on which she joins duty. Her retention/ confirmation in the cadre of Tax Assistant will depend upon her successful completion of the probation period and also on passing the departmental examination.

9. उसे नये पुनर्गठित परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली (न्यू पेंशन स्कीम) वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों का विभाग, ई. सी.बी. और पी. आर. मंडल के द्वारा फ़ाइल सं 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003 के अधीन यथा अधिसूचित में है, के अंतर्गत रखा जाएगा।

She will be considered under the new restructured defined contribution Pension System (New Pension Scheme) as notified vide F.No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003 of ECB & PR Division, Department of Economics, Ministry of Finance.

10. पद ग्रहण करने के लिए उसे कोई यात्रा भत्ता अदा नहीं किया जाएगा।

No. T.A. will be paid to her for joining the post.

11. भोपाल अंचल के कर सहायक के सामान्य संवर्ग में उसकी परस्पर वरिष्ठता लागू नियमों/ दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित होगी।

Her inter-se seniority in the cadre of Tax Assistant of Bhopal Zone will be fixed as per the rules/ guidelines in force.

12. यदि वह कभी धर्म परिवर्तन करती है तो उसे इसकी सूचना तत्काल नियुक्ति अधिकारी को देनी होगी।

She should intimate the appointing authority as and when she changes her religion.

13. कर सहायक के सामान्य संवर्ग में उसका स्थानांतरण भोपाल अंचल के किसी भी आयुक्तालय में किया जा सकता है। पदोन्नति होने पर उसको उक्त अंचल में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है।

She is liable to be transferred anywhere in the common cadre of Tax Assistant in all commissionerates of Bhopal Zone. On promotion, she is liable to be transferred anywhere in the zone.

14. उसे जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में जमा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि लागू हो तो, यदि पहले निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

She is directed to submit the Caste Certificate, if applicable, in prescribed proforma, if not submitted earlier in the required proforma.

15. यदि उम्मीदवार द्वारा की गई कोई भी घोषणा या प्रस्तुत की गयी सूचना गलत साबित होती है या यह पाया जाता है कि उम्मीदवार ने जानबूझ कर कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपाई है तो उनको सेवा से हटाया जा सकता है और अन्य कोई अपेक्षित कर्वाइ उसके विरुद्ध की जा सकती है।

If any declaration given or information furnished by the candidate is proved to be false, or if the candidate is found to have wilfully suppressed any material information, She will be liable to be removed from service and also to such other action, as deemed necessary.

16. यदि पुलिस सत्यापन में कुछ भी प्रतिकूल पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कारण बताये समाप्त की जायेंगी।

In case anything adverse is found in police verification her services will be terminated without assigning any reason or notice by the department.

17. यदि इस नियुक्ति आदेश के उक्त नियम व शर्तें कु. दीपाली अनिल डाफ, को स्वीकार्य हैं तो उनको मुख्य आयुक्त कार्यालय, वस्तु एवं सेवाकर, सीमाशुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर ज़ोन, तेलंगखेडी रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर (महाराष्ट्र)- 440 001 के समक्ष या इस पत्र के जरी होने के १५ दिनों के भीतर सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ रिपोर्ट करने के निर्देश दिए जाते हैं।


If the above terms & conditions of this appointment order are acceptable to Ms. Deepali Anil Daf, she is directed to report Office of the Chief Commissioner, CGST & Customs, GST Bhavan, Telangkhedi Road, Civil Lines, Nagpur 440 001 on or before 15 days of issuance of this letter along with all original certificates.

18. यदि वह उक्त कार्यालय में निर्धारित तिथि पर रिपोर्ट नहीं करती तो यह नियुक्ति आदेश उसे कोई भी सूचना दिए बिना निरस्त समझा जाएगा।

If she fails to report to the above office on the stipulated date, this appointment order will be treated as cancelled without any further reference to her.

19. यह नियुक्ति आदेश मुख्य आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर ज़ोन के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This Appointment Order is issued with the approval of the Chief Commissioner, CGST & CX, Nagpur Zone.


(मुकुल पाटील) 21/5/2021
संयुक्त आयुक्त(मु.आ.का.)

पंजीकृत पावती सहित :-

कु. दीपाली अनिल डाफ,
P -No. 19, केशव नगर,
Raut - Layout Godhni Road,
Zingabaitakli, Nagpur

पत्र सं. I(22)11/CCO/NZ/2020-A-4/Estt | |

नागपुर, दिनांक 02/03/2021

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल ज़ोन, भोपाल।
2. सहायक प्रमुख लेखा अधिकारी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर-I, कु. दीपाली अनिल डाफ के शैक्षणिक योग्यता सम्बंधित प्रमाणपत्र/ आयु प्रमाणपत्र / चरित्र प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र(जहाँ लागू हो), इत्यादि दस्तावेजों का सत्यापन कर, कार्यग्रहण करायें तथा कार्यग्रहण की सूचना मुख्य आयुक्त कार्यालय, नागपुर ज़ोन, नागपुर को प्रेषित करें।
3. भुगतान तथा लेखा अधिकारी/ अधीक्षक (गोप/सत), केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर-I
4. सचिव, समूह 'ग' अधिकारी संघ, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर
5. गोपनीय चरित्र पंजी /रक्षा मिसिल।
6. सिस्टम मैनेजर केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, नागपुर-I को पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत